17.1.23 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी को
पूर्व से नोटिस तामील हो चुके हैं बावजूद
सूचना अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब
पेश नहीं किया जाता है अतः जवाब

तारीख हुक्म	.... बनाम .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. .... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की...
	साक्ष्य बन्द किया जाता है, वकील वादी द्वारा बहस एकतरफा की गई तथा बहस में प्रार्थनापत्र के वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया। मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने पर उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास राजेश जागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 8/2022

बउनवान

प्रेमशंकर पुत्र हरिराम जाति मेहर निवासीग्राम कांगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से:— श्री बहादुर सिंह एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: आदेश ::— दिनांकः— 17-1-2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कांगन्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 70 के खसरा न0 370/565 की 0.09हेक्टर, खसरा न0371/558 की 0.43 हेक्टर, खसरा न0 387 की 0.46हेक्टर कुल 3 किता की 0.98हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमे प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है, एवं माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 46 के खसरा न0 13 की 0.42हेकटर कुल 1 किता की कुल 0.42 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमे प्रार्थी का 1/30हिस्सा निहित है।प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात मे निहित अपने हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। तथा वर्तमान मे भी उक्त आराजी प्रार्थी के ही कब्जे काश्त मे है।तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी ने काबिज काश्त होकर फसल बो रखी है। प्रार्थी ने अपने खाते व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात मे निहित हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण लेने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की, तो प्रार्थी की जानकारी मे आया, कि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पुत्र हरिराम दर्ज कर रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमशंकर पुत्र हरिराम है। जिसकी पुष्टि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचानपत्र, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, व विद्यालय रेकार्ड से होती है, जिनकी प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने के बाद प्रार्थी द्वारा अपने खाते मे प्रार्थी के गलत नाम प्रेमचन्द को दुरस्त करवाकर प्रेमशंकर दर्ज करने का पटवारी हल्का महोदय से निवेदन किया, तो उनके द्वारा प्रार्थी के नाम को दुरस्त करने से मना कर दिया, और

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से प्रार्थी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र बाबत दुरस्ती प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, साथ ही प्रार्थी बालिग हो चुका है, तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी माल ग्राम कांगन्या खाता स0 नई 70 कुल 3 किता की 0.98हेक्टर मे नाबालिग दर्ज है, जिसे भी बालिग दर्ज करवाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, जिसमे अप्रार्थी उपस्थित हुए लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नही करने से अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस प्रार्थी मे रखी गई, तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराया गया, और सहखातेदारान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, तथा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यो व संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन करने मे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है, तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कांगन्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 70 के खसरा न0 370/565 की 0.09हेक्टर, खसरा न0371/558 की 0.43 हेक्टर, खसरा न0 387 की 0.46हेक्टर कुल 3 किता की 0.98हेक्टर आराजी, एवं माल ग्राम सूण्डक्या पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोट़ा मे खाता स0 नई 46 के खसरा न0 13 की 0.42हेकटर कुल 1 किता की कुल 0.42हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के गलत नाम प्रेमचन्द के स्थान पर प्रेमशंकर दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जातेहै, साथ ही प्रार्थी के संयुक्त खाते की माल ग्राम कांगन्या खाता स0 नई 70 के खसरा न0 370/565 की 0.09हेक्टर, खसरा न0 371/558 की 0.43 हेक्टर, खसरा न0 387 की 0.46हेक्टर कुल 3 किता की 0.98हेक्टर आराजी, मे नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 17/1/23 ....को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(राजेश सोनी)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद